भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 12
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

†* 12. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022 में सांसद कोटा एवं अन्य कोटे रद्द किए जाने से केन्द्रीय विद्यालयों में कितनी सीटें निर्मुक्त हो गई हैं;
(ख) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में राज्य-वार कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है;
(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं; और
(घ) क्या सरकार आगामी शैक्षणिक वर्षों में कमजोर स्थिति वाले लोगों को केन्द्रीय विद्यालय की ऐसी रिक्त सीटें आवंटित करने हेतु किसी भिन्न योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रत्येक संस्थान अपनी प्रणाली में गुणवत्तापरक परिवर्तन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं एवं नीतियों की समीक्षा करता रहता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने उन कुछ प्रावधानों को वापस लिया है जो विवेकाधीन थे, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय संसद सदस्य, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रायोजक प्राधिकरण आदि का कोटा। ये कोटे स्वीकृत कक्षा संख्या से अधिक थे और इस प्रकार कोई भी सीट निर्मुक्त नहीं की गई है। यह कदम एक अच्छा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को बनाए रखने और वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति की ओर ले जाएगा।

(ख) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों (के.वि.) में 220 बच्चों को दाखिला दिया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न हैं।

(ग) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक निरंतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने और 23 वर्ष का होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देश 2022-23 में स्वीकृत कक्षा संख्या से ऊपर उन बच्चों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है।

(घ) के.वि का स्वरूप विशिष्ट होता है और इनकी स्थापना देश भर में शिक्षा का समान कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। के.वि.सं. अपवंचित समुदायों और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को कक्षा- I में प्रवेश में 25% सीटों का आरक्षण देकर शिक्षा प्रदान करता रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण और प्रवेश स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समस्तरीय रूप से सीटें भी आरक्षित हैं। कक्षा-I में एकल बालिका के लिए प्रति सेक्शन 02 सीट भी आरक्षित हैं।

*****

अनुबंध

'समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या12 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में भर्ती बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल किए गए बच्चे**
1	आंध्र प्रदेश	13
2	बिहार	06
3	चंडीगढ़	02
4	छत्तीसगढ़	01
5	दिल्ली	13
6	गुजरात	04
7	हरियाणा	02
8	झारखंड	08
9	कर्नाटक	16
10	मध्य प्रदेश	68
11	महाराष्ट्र	09
12	मणिपुर	01
13	उड़ीसा	15
14	पुदुचेरी	03
15	पंजाब	01
16	राजस्थान	11
17	तमिलनाडु	12
18	तेलंगाना	10
19	उत्तर प्रदेश	17
20	उत्तराखंड	05
21	पश्चिम बंगाल	03
कुल		**220**

*****